भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *97
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल कनेक्शन

***97. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक देश में कुल कितने नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का वर्तमान वर्ष के अंत तक जल जीवन मिशन को पूरा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों में नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में पीछे चल रहे राज्यों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार का देश में जल निगरानी, जल प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए किसी विनियामक निकाय का गठन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने जल प्रबंधन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *97 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की थी। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 04.02.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 11.01 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.02.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.24 करोड़ (73.93%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 5.03 करोड़ परिवारों को मिशन की अवधि के भीतर कवर किए जाने की संभावना है।

दिनांक 04.02.2024 तक, 9 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण दीव और पुदुचेरी 'हर घर जल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र' बन गए थे अर्थात् यहां 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपूर्णता योजना और वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके। ऑनलाइन

निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

(घ) से (च): जैसा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, पानी राज्य का विषय होने के कारण, भूजल का विनियमन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, इस मंत्रालय के तहत, देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल के संग्रहण सह उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने सां. आ. संख्या 3289 (अ.) दिनांक 24.09.2020 और सां. आ. संख्या 1509 (अ.) के माध्यम से उसमें संशोधनों के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों के प्रावधानों, जो पूरे भारत में लागू है, के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भूजल संग्रहण सह उपयोग को विनियमित करने के लिए अपना स्वयं का विनियामक तंत्र स्थापित किया है। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूए के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि राज्य के दिशानिर्देश/विनियामक आदेश, जहां भी अधिनियमित किए गए हैं, पूर्व के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो सकते या उन्हें कमजोर नहीं कर सकते हैं। विस्तृत सीजीडब्ल्यूए दिशानिर्देश पब्लिक डोमेन में निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं।

https://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/Guidlines/NewGuidelinesNotified250920.pdf#ZOOM=100

इसके अलावा, जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) में 20% तक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मिशन मोड पर काम करने हेतु अक्टूबर, 2022 के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) के रूप में एक समर्पित संगठन का गठन किया गया है। यह ब्यूरो देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा-प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ब्यूरो की ओर से अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी है।

*****